

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर  
मु0नं0-108/2017

उनवान-सरकार बनाम भूरीसिंह पुत्र श्री मुन्नालाल (पंजाब पनीर हाउस एबी रोड धौलपुर)  
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0  
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक - 09.12.2017

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री भूरीसिंह पुत्र श्री मुन्नालाल जाति कुशवाह निवासी भामतीपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (पंजाब पनीर हाउस, आरएसी के सामने एबी रोड धौलपुर) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में रखी स्टील की टंकी में लगभग 25 किलो ग्राम घी (लूज) में मिलावट का शक होने पर उसमें से 800 ग्राम घी (लूज) वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। अप्रार्थी ने उक्त घी आम जनता के विक्रय हेतु बताया गया। उक्त घी नमूना डी-1350 वास्ते जांच हेतु खाद्य क्लिषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य क्लिषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017 के अनुसार उक्त घी सबस्टैंडर्ड एवं बाहरी तत्व की मिलावट का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने तथा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड एवं बाहरी तत्व की मिलावट घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड एवं बाहरी तत्व की मिलावट का घी बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री भूरीसिंह पुत्र श्री मुन्नालाल जाति कुशवाह निवासी भामतीपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (पंजाब पनीर हाउस, आरएसी के सामने एबी रोड धौलपुर) पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 8000/-रुपये (आठ हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हरफूल सिंह यादव)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर (राज0)